# फ़ैक्ट शीट (तथ्य पत्र) 6 - "बुशफ़ायर अलर्ट्स"

संशोधित 01/10/2009



**तथ्य:** जब आग लगी हों तो "बुशफ़ायर अलर्ट्स" (झाड़-झंखाड़ अग्नि चेतावनियां) वेब (इंटरनेट),रेडियो और टेलीविज़न जैसे अनेक माध्यमों द्वारा समाज को संदेश देने का कार्य करती हैं। वह इस धारणा पर टिकी होती हैं कि "बुशफ़ायर" अचानक ही और बिना चेतावनी खतरा पैदा कर सकती हैं और सर्वसाधारण को, चाहे आधिकारिक आपातकालीन चेतावनी मिले या ना मिले, कार्यवाही करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

"बुश फ़ायर अलर्ट" जारी करने का फ़ैसला आग के खतरे पर निर्भर करता है। यह मौजूदा "फ़ायर डेन्जर रेटिंग" (अग्नि संकट मूल्यांक) और आग के फैल सकने की संभावित दर - जो भौगोलिक स्थिति, ईंधन के प्रकार, लंबे सूखा-काल और अन्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बदली हो सकती हैं - को ध्यान मे रखता है।

इन संदेशों के स्तर सुरक्षा को सर्वाधिक महत्ता देते हुए बनाये गये हैं।

तीन प्रकार की "अलर्ट" (चेतावनियां) हैं जो कि संकट के अनुरूप नीचे से ऊपर को बढ़ते स्तर पर क्रमबद्ध की गई हैं

**"अडवाईस" (सलाह)** - कोई आग लग चुकी है

- एकदम कोई खतरा नही है, यह आपको मौजूदा परिस्थिति से अवगत करने के लिये सामान्य जानकारी है

**"वौच एन्ड ऐक्ट" (चौकसी बरतें और कार्यवाही करें)** - बढे हुए संकट स्तर को दर्शाती हैं

- परिस्थितियाँ बदल रही हैं और आप को अपने और परिवार के बचाव करने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता है। अपने "बुशफ़ायर सर्वायवल प्लान" (झाड़-झंखाड़ अग्नि उत्तरजीविता योजना) का पालन करें।

**"इमेरजेन्सी वोर्निंग" (आपातकाल चेतावनी)** - आप खतरे में हैं और शीघ्रतम कार्यवाही करने की आवश्यकता है

- आप आग द्वारा प्रभावित होंगे
- इस संदेश से पहले आमतौर पर कोई आपातकाल चेतावनी संकेत दिया जायेगा (जैसे कि रेडियो या टेलिविज़न पर साईरन की ध्वनि बजाना)

**एस.ई.डब्ल्यू.एस. (सोज़) "स्टैन्डर्ड इमेरजेन्सी वोर्निंग सिगनल " (सामान्य आपातकाल चेतावनी संकेत)**

रेडियो श्रोताओं और टेलिविज़न दर्शकों को चेताने के लिये यह एक नियुक्त साईरन है कि किसी वास्तविक या संभावित आपातकालीन स्थिति के बारे में घोषणा की जाने वाली है।

यह महत्वपूर्ण है कि आप कार्यवाही आरंभ करने के लिये केवल चेतावनी प्राप्त होने पर ही निर्भर नहीं रहें, यह अपरिहार्य सत्य है कि आग अचानक और बिना चेतावनी दिये संकट पैदा कर सकती हैं और समय पर संदेश दे पाना असंभव कर सकती हैं।

**अगर आपको "बुशफ़ायर अलर्ट" (चेतावनी) मिलती है तो उस को गंभीरता से ले और तुरन्त कार्यवाही करें। कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप आप या आपके परिवारजन मृत या घायल हो सकते हैं।**

**अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें: अपने स्थानीय "फ़ायर कन्ट्रोल सेन्टर" (अग्नि नियंत्रण केन्द्र) या**

000 EMERGENCY

NSW RFS INFORMATION LINE
**1800 NSWRFS**
1 8 0 0 6 7 9 7 3 7

**www.rfs.nsw.gov.au**

**www.fire.nsw.gov.au ◈ www.esa.act.gov.au**

A FIREWISE INITIATIVE

106 TEXT EMERGENCY CALL